

बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पो0-वेटनरी कॉलेज पटना-14

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु
विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-02010115

ऑनलाईन आवेदन निबंधन प्रारंभ होने की तिथि-05.05.2015 तथा ऑनलाईन आवेदन निबंधन की अंतिम तिथि-29.05.2015

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत कृषि समन्वयक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

1. रिक्तियों की संख्या:-

क्रमांक	आरक्षण कोटि	रिक्त पदों की संख्या
1.	अनुसूचित जाति	694
2.	अनुसूचित जनजाति	46
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	781
4.	पिछड़ा वर्ग	534
5.	पिछड़े वर्ग की महिला	131
6.	अनारक्षित	2205
कुल:-		4391

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-235, दिनांक-04.03.2015 द्वारा प्राप्त जिलावार आरक्षण कोटिवार रिक्त की विवरणी:-

कृषि समन्वयक के पद का रोस्टर विन्दूवार सूचना:-									
क्र0सं0	जिला का नाम	कुल स्वीकृत पद	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	पटना	169	85	27	02	20	30	05	169
2.	नालंदा	130	65	21	01	16	23	04	130
3.	भोजपुर	119	60	19.	01	14	21	04	119
4.	बक्सर	76	38	12	01	09	14	02	76
5.	रोहतास	128	64	21	01	15	23	04	128
6.	कैमूर	79	40	13	01	09	14	02	79
7.	गया	171	86	27	02	20	31	05	171
8.	अरवल	37	19	06	06	04	07	01	37
9.	जहानाबाद	51	26	08	01	06	09	01	51
10.	औरंगाबाद	107	54	17	01	13	19	03	107
11.	नवादा	98	49	16	01	12	17	03	98
12.	सारण	167	84	26	02	20	30	05	167
13.	सीवान	152	76	24	02	18	27	05	152
14.	गोपालगंज	122	41	19	01	15	22	04	122
15.	मुजफ्फरपुर	198	99	32	02	24	35	06	198
16.	पू0 चम्पारण	208	104	33	02	25	38	06	208

17.	प0 चम्पारण	163	82	26	02	19	29	05	163
18.	सीतामढ़ी	142	71	23	01	17	26	04	142
19.	शिवहर	31	16	05	0	04	05	02	31
20.	वैशाली	150	75	24	02	18	27	04	150
21.	दरभंगा	167	84	26	02	20	30	05	167
22.	मधुबनी	205	103	33	02	24	37	06	205
23.	समस्तीपुर	196	98	31	02	24	35	06	196
24.	बेगूसराय	121	61	19	01	14	22	04	121
25.	लखीसराय	45	23	07	01	05	08	01	45
26.	जमुई	81	41	13	01	10	14	02	81
27.	शेखपुरा	32	16	05	00	04	06	01	32
28.	मुंगेर	55	28	08	01	06	10	02	55
29.	भागलपुर	126	63	20	01	15	23	04	126
30.	बांका	97	49	15	01	12	17	03	97
31.	सहरसा	80	40	13	01	10	14	02	80
32.	सुपौल	95	48	15	01	11	17	03	95
33.	मधेपुरा	90	45	14	01	11	16	03	90
34.	पूर्णियाँ	128	64	21	01	15	23	04	128
35.	अररिया	114	97	18	01	14	21	03	114
36.	किशनगंज	68	34	11	01	08	12	02	68
37.	कटिहार	124	62	20	01	15	22	04	124
38.	खगड़िया	69	35	11	01	08	12	02	69
कुल:-		4391	2205	699	46	524	786	131	4391

आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थियों को सभी 38 जिलों के संबंध में अपना विकल्प देना होगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा जिला का विकल्प नहीं दिया जायेगा उनके संबंध में जिला के उपर्युक्त क्रम को ही उनका विकल्प मानते हुए मेधा के आधार पर जिला का आवंटन किया जायेगा।

2. वेतनमान-5200-20200+ग्रेड-पे 2800/-

3. शैक्षणिक योग्यता:-

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा/मातिस्यकी/कृषि अभियंत्रण/उद्यान/वानिकी/गव्य तकनीकी में स्नातक। नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पूर्व अभ्यर्थियों को उक्त विषयों में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल उक्त तिथि तक प्रकाशित नहीं हुआ हो, वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

(ख) अभ्यर्थी के द्वारा अंक प्रमाण पत्र Grading System में होने की परिस्थिति में Common Conversion सूत्र के अनुसार प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना करते हुए ऑन लाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि दर्ज करेंगे तथा आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी अन्य सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा-कृषि स्नातक का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण-पत्र, संबद्ध घोषणा-पत्र के साथ-साथ Common Conversion formula की स्व: हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर निबंधित डाक के माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा पत्र निम्न प्रारूप में देंगे कि उनके द्वारा दिया गया Grading System / Marks System, उससे संबंधित Common Conversion सूत्र तथा उसके उपरांत प्राप्त प्रतिशत की गणना पूर्णतः सत्य है, तथा अभ्यर्थी के शिक्षण संस्थान का वह शैक्षणिक सत्र जिसमें अभ्यर्थी ने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, मान्यता प्राप्त है ।

घोषणा पत्र

आवेदक का
स्वसत्यापित
पासपोर्ट साइज
फोटो

मैं..... पिता / पति- घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सूचनाएँ सही हैं तथा जो प्रमाण पत्र मैंने संलग्न किया है, वह सक्षम प्राधिकार से निर्गत है । आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधी सूचना सही है । मैंने जिस शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, वह शिक्षण संस्थान तथा वह शैक्षणिक सत्र मान्यता प्राप्त है । आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिया गया Grading / Marks / System (OGPA/CGPA/SGPA कोई अन्य), उस से संबंधित Common Conversion Formula तथा उसके उपरांत प्राप्त प्रतिशत की गणना पूर्णतः सत्य है, तथा संबंधित संस्था / विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है । मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना परीक्षा पूर्व या पश्चात् में कभी भी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन / नियुक्ति रद्द कर दिया जायेगा एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई के साथ ली गई सरकारी राशि की वसूली कर ली जायेगी ।

तिथि -
स्थान -

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(घ) जिन अभ्यर्थियों के अंक पत्र / प्रमाण पत्र पर CGPA / OGPA से प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र अंकित न हो उन्हें प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय / संस्थान से निर्गत CGPA / OGPA से प्रतिशत Conversion सूत्र से संबंधित मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी ।

(ड.) कृषि विभाग अभ्यर्थी के द्वारा दावा किये गये CGPA / OGPA से प्रतिशत Conversion के सूत्र को संबंधित शैक्षणिक संस्थान / विश्वविद्यालय से संपुष्ट करा सकता है ।

उम्र सीमा:- दिनांक:-01.08.2014 को

न्यूनतम आयु-21 (इक्कीस) वर्ष ।

अधिकतम आयु:-(1) अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला)-40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष ।

परन्तु कृषि विभाग के संकल्प संख्या-1422, दिनांक-23.12.2014 के आलोक में विभाग में संविदा पर कार्यरत कृषि समन्वयकों की उम्र सीमा में कृषि समन्वयकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापित की जाने वाली पहली नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करते हुए अर्थात् कृषि समन्वयकों को नियुक्ति हेतु एक बार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को नजरअंदाज कर अनुभव वाले सभी कृषि समन्वयकों को नियुक्ति में एक बार मौका दिये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-17.12.2014 में मद संख्या-25 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है । अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण नहीं होगा ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

4. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।
- (ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमीलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु काउंसिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा । अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपनी जाति एवं संबंधित श्रेणी को भरते समय वे बिहार सरकार के अधिकृत वेबसाइट पर जा कर अपने जाति से संबंधित आरक्षण श्रेणी का पता लगाने के पश्चात ही आरक्षण का दावा हेतु आरक्षण श्रेणी भरना सुनिश्चित करेंगे ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह मान्य नहीं होगा ।
- (v) कृषि समन्वयक के कुल 4391 पदों पर नियुक्ति में विकलांग को तीन प्रतिशत (कोटिवार) के तहत एक प्रतिशत चक्षु विकलांग, एक प्रतिशत मूक वधिर विकलांग एवं एक प्रतिशत चलंत विकलांग आरक्षण देय होगा । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या 62,

दिनांक 05.01.2007 के प्रावधान के कंडिका 5 के आलोक में केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं अथवा पदों के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो ।

6. **परीक्षा शुल्क:-**

अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए 375/- (तीन सौ पचहत्तर रूपये) का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 100/- (एक सौ रूपये) परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करेंगे । बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 375/- (तीन सौ पचहत्तर रूपये) निर्धारित है । चालान जमा करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश एवं चालान की प्रति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी उपयोग में लायेंगे । **अभ्यर्थी चालान की B.S.S.C Copy अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा काउंसेलिंग के समय आयोग कार्यालय में समर्पित करेंगे ।** निर्धारित शुल्क का चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक-05.05.2015 से 30.05.2015 तक बैंक के कार्यावधि में जमा किया जा सकेगा ।

7. **चयन की प्रक्रिया:-** (क) मेधा सूची का अवधारण स्नातक स्तर पर प्राप्त प्रतिशत अंक, कृषि विभाग, बिहार सरकार में कार्य अनुभव के आधार पर किया जायेगा ।

स्नातक स्तर पर प्रतिशत प्राप्तांक के अनुसार अधिकतम अंक-70

- अभ्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक को 0.7 से गुणा कर अंक अवधारण किया जायेगा । उदाहरण के लिए 80 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को $80 \times 0.7 = 56$ अंक मिलेगा ।

कार्य अनुभव के अनुसार अधिकतम अंक-30

एक वर्ष से दो वर्ष के बीच का कार्य अनुभव	-	10 अंक
दो वर्ष से तीन वर्ष के बीच का कार्य अनुभव	-	20 अंक
तीन वर्ष या इससे अधिक के कार्य अनुभव	-	30 अंक

(ख) आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों से जिला के संबंध में विकल्प की माँग की गयी । मेधा-सह-विकल्प के आधार पर, जिलावार अनुशासित सूची निदेशक को आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

नोट:- आवेदक के अनुभव की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04.06.2015 तक मान्य होगी ।

8. **अन्य:-**

(i) किसी उम्मीदवार के पात्रता/अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) वैसे अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो ।

(iii) अभ्यर्थी इस आशय का स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि-

(क) मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराधिक मामला दर्ज नहीं है ।

(ख) मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाएँ सही हैं एवं किसी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

महत्वपूर्ण:-


1. अभ्यर्थी के द्वारा अपने भरे हुए ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर उसे हस्ताक्षरित करते हुए इसके साथ अन्य सभी संबंधित प्रमाण पत्रों को स्वअभिप्रमाणित कर आयोग कार्यालय को अनिवार्य रूप से निबंधित डाक द्वारा भेजना होगा । अभ्यर्थी को अपने उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंकित हो को अन्य प्रमाण पत्रों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा । अभ्यर्थी के द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित हार्ड

कॉपी अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के अंदर आयोग कार्यालय को हस्तगत होना अनिवार्य होगा ।

2. अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को भरने से पूर्व पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा भरी गई प्रविष्टियाँ पूर्णतः सही है । बाद में किसी भी परिस्थिति में इसमें सुधार/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

अंतिम तिथि:-

ऑनलाईन आवेदन दिनांक 05.05.2015 से 04.06.2015 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर भरा जा सकता है ।



सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।